

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (जे एवं इक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:-

18/6/26

विषय:- कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 13,67,62,206/- (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार दो सौ छः रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 13,67,62,206/- (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार दो सौ छः रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आईडी	योजना का नाम	स्वीकृतिदेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, सिवान	31657	Construction of 620 capacity Auditorium cum Atal Kala Bhawan at Siwan	751/ 04.02.25	27938484 (दो करोड़ उन्नासी लाख अड़तीस हजार चार सौ चौंरासी रुपये)
02.	भवन प्रमंडल, लखीसराय	32016	लखीसराय जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 630 क्षमता का सभागार निर्माण कार्य	723/ 14.03.24	30231719 (तीन करोड़ दो लाख इकतीस हजार सात सौ उन्नीस रुपये)
03.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	30935	मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय, मुजफ्फरपुर में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण कार्य	839/ 24.03.21	78592003 (सात करोड़ पचासी लाख बानवे हजार तीन रुपये)
कुल राशि					136762206

(तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार दो सौ छः रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0107-सांस्कृतिक संरचना विपत्र कोड-03-4059600510107 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 5661(4)

पटना, दिनांक:-

18/6/26

प्रतिनिधि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।